

dk; kly; ifyl v/khfk d tuin xks Mk fnukd 19-11-2022
'kkfrHkx dh vk'kadk ds eisutj ifyl }kjk dh x; h dk; bkgh&

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-22 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

02 okjMh vfhk; ä fxj rkrkj&

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 01, थाना खरगूपुर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया।

voŸk 'kjk ds fu"d"zk] fcØh o ifjogu ds fo#) tuinh; ifyl }kjk dh xbl
dk; bkgh&

01- Fkkuk othjæt ifyl }kjk dh x; h dk; bkgh&

01. समयदीन पुत्र नान्हू निवासी ग्राम पुरैना गनेशपुर ग्रन्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-491/22 धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02- Fkkuk [kjxiw g ifyl }kjk dh x; h dk; bkgh&

01. मुकेश कश्यप पुत्र धनलाल नि० खालेपुरवा सकरौरा ग्रामीण को० कर्नलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-555/22 धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

I jkguh; dk; /
cs ukv
ehfM; k l sy xks Mk
fnukd 19-11-2022

yMdh dks cgyk&Qd ykdj Hkxk ys tkus ds 02 okfNr vfHk; jã fxj rkrkj &

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकास तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना करनैलगंज पुलिस ने लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त 01. वाहिद व 02. रामजीत को गिरफ्तार कर लिया। उक्त अभियुक्त ने थाना करनैलगंज क्षेत्र की रहने वाली एक लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा थाना करनैलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

fxj rkrkj vfHk; jã &

01. वाहिद पुत्र मंजूर अली नि० भरवलिया मौज करही थाना गुल्हौरा पोस्ट गौरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

02. रामजीत पुत्र राम बहादुर नि० रजनापुर चौराहा थाना गुल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर

i athkr vfHk; ksx &

01. मु०अ०सं०-553/22, धारा 363 भादवि व 3(2)टं एस०सी०/एस०टी० एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

fxj rkrkj drkl Vhe &

01. प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह मय टीम।

L j k g u h ; d k ; l
c l & u k v
e h f M ; k l s y j x k s M k
f n u k d 19-11-2022

p k s j h d j u s d s 02 'k k f r j v f h k ; ä 24 ? k . V s d s v U n j p k s j h d s e k y l f g r f x j ¶ r k j l
' k R k & c f r ' k r e k y c j k e n ¶ v u e k f u r d h e r 47 y k [k k &

आज दिनांक 19.11.2022 को थाना कोतवाली नगर पुलिस को वादी श्रवण कुमार गुप्ता पुत्र स्व० रामगोविन्द गुप्ता निवासी रानीबाजार गोण्डा ने चोरी होने की सूचना दी थी। प्रकरण को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने उक्त घटना के शीघ्र अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर व एस०ओ०जी० टीम को दिशा-निर्देश दिये थे।

उक्त दिशा-निर्देश के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर व एस०ओ०जी० की संयुक्त टीम की तत्परता से सुरागरसी-पतारसी के दौरान मुखवीर खास की सूचना पर चोरी की घटना में संलिप्त 02 आरोपी अभियुक्तों- 01. अभय कुमार गुप्ता उर्फ प्रिंस उर्फ जीत गुप्ता 02. अखिलेश तिवारी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 06 अदद हार, 02 अदद कंगन, 06 अदद चूड़ी, 11 अदद चेन, 18 अदद झुमकी झाला, 02 अदद हाथ पूल, 09 अदद अगूठी, 06 अदद लाकेट, 06 अदद टप्स, 01-01 अदद नाक का कील, मंगल सूत्र, नाक का नथ, कान की बाली, मांग टीका, बचकाना पायल (सभी पीली धातु (अनुमानित कीमत 47 लाख) बरामद किया गया। उक्त अभियुक्तगण द्वारा वादी श्रवण कुमार गुप्ता के घर में चोरी की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

u k s v % & ? k v u k d k l Q y v u k o j . k d j u s o k y h d k O u x j o , l O v k O t h O V h e x k s M k d k s
50]000@& : i ; s d s u x n i j L d k j l s i j L k r f d ; k x ; k g A

f x j ¶ r k j v f h k ; ä x . k &

01. अभय कुमार गुप्ता उर्फ प्रिंस उर्फ जीत गुप्ता पुत्र अजय कुमार गुप्ता निवासी रानीबाजार थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा।

02. अखिलेश तिवारी पुत्र कृष्णमुरारी तिवारी निवासी मोहल्ला सुभाषनगर थाना कोतवाली नगर, जनपद गोंडा।

v u k o j . k v f h k ; k x % &

01. मु०अ०सं०-835/2022, धारा 457, 380, 411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

c j k e n x h &

01. 06 अदद हार (पीली धातु)
02. 02 अदद कंगन (पीली धातु)
03. 06 अदद चूड़ी (पीली धातु)
04. 11 अदद चेन (पीली धातु)
05. 18 अदद झुमकी झाला (पीली धातु)
06. 02 अदद हाथ पूल (पीली धातु)
07. 09 अदद अगूठी (पीली धातु)
08. 06 अदद लाकेट (पीली धातु)
09. 06 अदद टप्स (पीली धातु)
10. 01 अदद नाक का कील (पीली धातु)

11. 01 अदद मंगल सूत्र (पीली धातु)
12. 01 अदद नाक का नथ (पीली धातु)
13. 01 अदद कान की बाली (पीली धातु)
14. 01 अदद मांग टीका (पीली धातु)
15. 01 अदद बचकाना पायल (पीली धातु)
16. 01 अदद तांबे की हंसुली उस पर से उतरे हुए पीली धातु के टुकड़े।

fxj 1rkj drkz Vhe%&

01. प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
02. प्रभारी एस0ओ0जी0 संतोष कुमार सिंह मय टीम जनपद गोण्डा।
03. चौकी प्रभारी बड़गाँव उ0नि0 प्रतीक पाण्डेय मय टीम थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।